मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 58

21.07.2025 को उत्तर के लिए

वृक्षारोपण की निगरानी

58. श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ में एक दशक में 18 करोड़ पौधे लगाए जाने का दावा किया गया था, जिनमें से बड़ी संख्या में पौधे जीवित नहीं रह पाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर, कोरबा और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं के कारण वन आच्छादित क्षेत्र में भारी गिरावट आई है और क्या उक्त परियोजनाओं के लिए संबंधित ग्राम सभा कि सहमति ली गई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्य में कई विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय मंज़ूरी के अभाव में वर्षों से लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अप्रयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितने भूमि क्षेत्र पर कार्य किया गया है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा उपग्रह मानचित्रण, जियो-टैगिंग या सामाजिक लेखापरीक्षा जैसे उपायों के माध्यम से उक्त सभी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा लगाए गए उक्त वृक्षों के रखरखाव के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 के दशक में छत्तीसगढ़ राज्य ने लगभग 18 करोड़ पौधे सफलतापूर्वक लगाए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनकी निगरानी के प्रयास लगातार किए गए हैं, और 90 प्रतिशत स्थानों पर अच्छी उत्तरजीविता दर पाई गई, जो वृक्षारोपण प्रयासों में उच्च समग्र सफलता दर का संकेत है।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की वर्ष 2013 और वर्ष 2023 की रिपोर्टों के तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है। इसके अलावा, वर्ष 2023 की रिपोर्ट में अति सघन वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जो छत्तीसगढ़ द्वारा वन संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में खनन हेतु वन भूमि के सभी प्रकार के अपवर्तन को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए किया जाता है, तथा इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभाओं से विधिवत सहमति प्राप्त की जाती है।

(ग) मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कोई भी प्रस्ताव 105 दिनों की निर्धारित समय-सीमा से अधिक लंबित नहीं है।

(घ) वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, स्वीकृत कार्य योजनाओं के अनुरूप और राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर भी किया जाता है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वन विभाग किसी विशिष्ट श्रेणी की भूमि को अप्रयुक्त भूमि के रूप में नहीं मानता है।

(ङ) और (च) वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की निगरानी, संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण और अंतर-मंडलीय सत्यापन के माध्यम से की जाती है। काम्पा द्वारा वित्त पोषित वृक्षारोपण के लिए, तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन के साथ-साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल के माध्यम से जीआईएस-आधारित निगरानी भी की जाती है। इस निगरानी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी वृक्षारोपण स्थलों को जियो-टैग भी किया जाता है।

*****